प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 10 मई, 2018

विषय: कैप्टन सुनील कौरा, कैप्टन दीपक श्रीवास्तव, कैप्टन प्रज्ञेश मिश्रा तथा कैप्टन अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) को मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर में शुल्क भुगतान के आधार पर बेल-412 हेलीकाप्टर के डी-लेवल सिमुलेटर पर फ्लाइंग रिकरेन्ट ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय के अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-716/ना0उ0नि0/आप्स-17/2016 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 सुनील कौरा, कै0 दीपक श्रीवास्तव, कै0 प्रज्ञेश मिश्रा तथा कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर में बेल-412 हेलीकाप्टर के डी-लेवल सिमुलेटर पर फ्लाइंग रिकरेन्ट ट्रेनिंग दी जानी है:-

क्र0सं0	पायलट	प्रशिक्षण का सम्भावित माह	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क
1	कैप्टन सुनील कौरा	मई, 2018	मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर	11,57,561/-
2	कैप्टन दीपक श्रीवास्तव	अगस्त, 2018	मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर	11,57,561/-
3	कैप्टन प्रज्ञेश मिश्रा	अक्टूबर, 2018	मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर	11,57,561/-
4	कैप्टन अमित कुमार भूटानी	नवम्बर, 2018	मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर	11,57,561/-
कुल योग				46,30,244/-

उक्त तालिकानुसार पायलटगण को प्रशिक्षण के सम्भावित माह में मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर को प्रशिक्षण शुल्क के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रूप में कुल रूपए 46,30,244/- (रूपए छयालीस लाख तीस हजार दो सौ चौवालीस मात्र) (प्रति पायलट प्रशिक्षण शुल्क रूपए 11,57,561/-) तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-F.No. 19030/3/2008-E.IV दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर-3 व 6 में विहित व्यवस्थानुसार उपरोक्त पायलटगण को उनके ग्रेड वेतन के अनुरूप यात्रा भत्ता व लखनऊ-बैंगलोर-लखनऊ के इकोनॉमी क्लास के वायुयान किराए हेतु रूपए 1,62,500/- (रूपए एक लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) (प्रति पायलट रूपए 40,625/-) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति भी दी जानी है। अत: श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैप्टन सुनील कौरा, कैप्टन दीपक श्रीवास्तव, कैप्टन प्रज्ञेश मिश्रा तथा कैप्टन अमित कुमार भूटानी को पूर्वोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर में प्रशिक्षण कराए जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रूपए 46,30,244/- (रूपए छयालीस लाख तीस हजार दो सौ चवालीस मात्र) तथा यात्रा भत्ता व लखनऊ-बैंगलोर-लखनऊ के इकोनॉमी क्लास के वायुयान किराए हेतु रूपए 1,62,500/- (रूपए एक लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) अर्थात् कुल रूपए 47,92,744/- (रूपए सैंतालीस लाख बानबे हजार सात सौ चौवालीस मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

(1) उक्त अग्रिम रूपए 47,92,744/- (रूपए सैंतालीस लाख बानबे हजार सात सौ चौवालीस मात्र) का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का भुगतान मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर के बैंक खातें में वायर ट्रान्सफर द्वारा किया जाए। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राविधानित धनराशि से अधिक न हो। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

(4) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृति की जाएगी।

(5) उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पायलटगण के लाइसेन्स में नियमानुसार पृष्ठांकन कर दिया जाए।

2- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर द्वारा पायलटों के प्रशिक्षण की आवंटित तिथियों में यदि किसी प्रकार का

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथियां प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (04 दिन प्रति पायलट) तथा प्रशिक्षण शुल्क (कुल रू0 46,30,244/- में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या 38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय एवं रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-463-दस-2018 दिनांक 10 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 50/2018/812(1)/छप्पन-2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।